

**HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT**

NOTIFICATION

The 09th April, 2026

No. 18/25/2012-3JJ (I):- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of section 83 of the Waqf Act, 2025 (14 of 2025) now called as Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995, the Governor of Haryana hereby constitutes the following Tribunals consisting of the Chairman and Members for a period of 05 years or till the age of 65 years which is earlier as mentioned in column of the schedule given below and defines the local limits of jurisdiction as mentioned in column 3 there each against:-

Schedule

Serial Number	Tribunal		Local limits of Jurisdiction
1	2		3
1.	(i) Additional District Judge, 1 st Ambala	Chairman	Ambala Division
	(ii) Additional District Magistrate, Ambala	Member	
	(iii) Sh. Sandip Kumar, Advocate, Chamber No. 93, Ground Floor, District Court, Ambala	Member	
2.	(i) Additional District Judge, 1 st Rohtak	Chairman	Rohtak Division
	(ii) Additional District Magistrate, Rohtak	Member	
	(iii) Sh. Rao Riaz Ahmed, Chamber No. 372, 3 rd Floor, C-Block, District Court, Jagadhri.	Member	
3.	(i) Additional District Judge, 1 st Gurugram	Chairman	Gurugram Division
	(ii) Additional District Magistrate, Gurugram	Member	
	(iii) Sh. Parveen Kumar, Advocate, Chamber no. 157, 1 st Floor, District Court, Gurugram.	Member	
4.	(i) Additional District Judge, 1 st Karnal	Chairman	Karnal Division
	(ii) Additional District Magistrate, Karnal	Member	
	(iii) Sh. Sandeep Khokher, Advocate, Chamber No. 298, District Court, Karnal.	Member	


SUDHIR RAJPAL, IAS,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department

हरियाणा सरकार
न्याय प्रशासन विभाग
अधिसूचना

दिनांक 9 अप्रैल, 2026

संख्या 18/25/2012-3जे0जे0 (1). - वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43), की धारा 83 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में यथावर्णित अध्यक्ष तथा सदस्य को मिलाकर 5 वर्ष के लिए व 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो निम्नलिखित अधिकरण गठित करते हैं तथा खाना 3 में उसके सामने यथावर्णित उनकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं परिभाषित करते हैं अर्थात:-

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिकरण	अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2	3
1.	(i) अपर जिला न्यायाधीश, प्रथम, अम्बाला (ii) अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बाला (iii) श्री संदीप कुमार, अधिवक्ता, चैम्बर नं0 93, भूतल, जिला न्यायलय, अम्बाला	अध्यक्ष सदस्य सदस्य अम्बाला मण्डल
2.	(i) अपर जिला न्यायाधीश, प्रथम, रोहतक (ii) अपर जिला मजिस्ट्रेट, रोहतक (iii) श्री राव रियाज अहमद, चैम्बर नं0 372, तृतीय तल, जिला न्यायलय, रोहतक	अध्यक्ष सदस्य सदस्य रोहतक मण्डल
3.	(i) अपर जिला न्यायाधीश, प्रथम, गुरुग्राम (ii) अपर जिला मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम (iii) श्री प्रवीन कुमार, अधिवक्ता, चैम्बर नं0 157, प्रथम तल, जिला न्यायलय, गुरुग्राम	अध्यक्ष सदस्य सदस्य गुरुग्राम मण्डल
4.	(i) अपर जिला न्यायाधीश, प्रथम, करनाल (ii) अपर जिला मजिस्ट्रेट, करनाल (iii) श्री संदीप खोखर, अधिवक्ता चैम्बर नं0 298, जिला न्यायलय, करनाल	अध्यक्ष सदस्य सदस्य करनाल मण्डल


सुधीर राजपाल, आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग ।